



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म (12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या- 813/बी.एफ.टी./10/13-14

दिनांक

सेवा में

श्री विकास जैन

पुत्र श्री सत्यनारायण जैन

निवासी- 17- गोपाल कुंज, बाईपास रोड, आगरा।

आगरा।

महोदय/महोदया,

खसरा संख्या-174पी.177पी.178पी.179पी.180पी, मौजा बसई मुस्तो बुंगी बाहर, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शों में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी भाति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यवेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्ण व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर गलियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छप्परा कारतिल और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रत्येक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 3000 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
8. प्रस्तावित अनुज्ञापत्र जारी होने के उपरांत ही रेन वाटर हावेस्टिंग

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र हैड जमा धनराशि अवशुद्ध की जायेगी। भवदीय

9. स्ट्रक्चरल डिजाइन Competent Authority से चेक करवाने के उपरांत ही स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या.....तद दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनाार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनाार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित कराये।
4. प्रकृत अनुभाग को सूचनाार्थ।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
परमिट फार्म (भाग-2)

संविदां संख्या - 813/बी.एच.टी./10/13-14

1992

五、

HQ. 10/12/2016 20:18

प्राप्ति- १० - शीघ्रता का अनुमान हो जाएगा।

何 晏 注 本 義

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

11

51.1.90

- [illegible]

३. संस्कृत भाषा में लिखिए।

- [illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

English subject

अनुसूचित जाति

Spillgate 'Alibi' Myth

आप

100

金

1. I have not seen any of your
2. letters lately. I hope you are
3. well. I am well. I hope you
4. are the same. I am the same.

...a number of people who are not yet ready to make a commitment to a particular cause.

1970-1971

आचार्य विकास प्रशिक्षण, आगरा

